संख्या–2066 / 9–आ–4–2001–388एन / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 20 अगस्त, 2001

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड नीति मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 प्रस्तर–6 एवं पृष्ठ–16 के क्रमांक–16 पर अंकित जिज्ञासा एवं समाधान का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि का फ्रीहोल्ड नीति विषयक जारी मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 के प्रस्तर–6 में यह प्राविधान है कि ''पट्टेदार से क्रेता के पक्ष में भी 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क लेकर फ्रीहोल्ड किया जा सकता है।'' उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्राविधान शासनादेश संख्या–1300 / 9–आ–4–96–629एन / 95 टी.सी., दिनांक–29.8.1996 में उल्लिखित मंशा के अनुरूप नहीं है और न ही शासनादेश संख्या–2668 / 9–आ–4–98–704एन / 97, दिनांक–1.12.1998 के प्रस्तर–4 के अनुरूप है। अतः पट्टाधारक के क्रेताओं जिनका मूल पट्टेदार से लिंक मिल रहा है, को पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के समकक्ष मानते हुये फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे मामले में 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा। अतः एतद्द्वारा मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 के प्रस्तर–6 को तद्नुसार संशोधित माना जाये।

इसी प्रकार मार्गदर्शिका के पृष्ठ–16 के क्रमांक–16 पर निम्न जिज्ञासा एवं समाधान अंकित है :–

16. जिज्ञासा : नजूल भूमि मैंने मूल पट्टेदार से बैनामें द्वारा क्रय की थी, परन्तु अभी मेरा नाम नही चढ़ा है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मार्गदर्शन किसी भी शासनादेश अथवा नीति से समर्थित नहीं है, अतः उक्त जिज्ञासा–16 के स्थान पर निम्नाकिंत समाधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

समाधान : ''जी हाँ, यदि पंजीकृत बैनामें द्वारा क्रय की थी। इस हेतु आपको स्टाम्प पेपर पर इन्डेमिनिटी बाण्ड प्रस्तुत करना होगा परन्तु फ्रीहोल्ड की कार्यवाही पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के समकक्ष मानते हुये ही की जायेगी। इसलिए फ्रीहोल्ड के लिए आकंलित मूल्य पर 5 प्रतिशत धनराशि हस्तानान्तरण शुल्क अथवा नामान्तरण शुल्क के रूप में अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगी। परन्तु आपको पट्टेदार अथवा

उसके उत्तराधिकारी की भाँति नामित करने का अधिकार तब तक नहीं उपलब्ध होगा जब तक आप पट्टेदार के स्थान पर नजूल अभिलेखों में अपना इंद्राज नहीं करा लेते।''

कृपया उपरोक्त आदेश तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–2866 (1)/9–आ–4–2001 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जावेद एहतेशाम
उप सचिव